केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
05 AUG 2020
D. No.....
Initials.....

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00057
CICOM/R/P/20/00233

अपीलकर्ता : **श्री के. के. गर्ग**
461, हरगोविन्दपुरम, सिटी सेंटर,
ग्वालियर - 474011.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	19.05.2020
आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन के प्राप्त होने की तिथि	05.06.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.06.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	30.07.2020
निर्णय की तारीख	03.08.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.04.2020 को मुख्य सूचना आयुक्त को उनके ई-मेल पर पर एक पत्र भेजा था जिसमें दिनांक 27.02.2020 को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 14 गैर अनुपालन मामलों की की गई सुनवाई से संबंधित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था । उक्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अपीकर्ता ने दिनांक 19.05.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी थी:-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त पत्र दिनांक 30.04.2020 पर माननीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का जी द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराएं ।
2. आवेदक के Non-compliance of CIC के 14 प्रकरणों में दिनांक 27.02.2020 को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने के पश्चात अभी तक भी आदेश पारित नहीं करने के कारणों से अवगत कराएं ।
3. दिनांक 27.02.2020 को सुनवाई करने के पश्चात अभी तक आदेश पारित नहीं करने के कारण उपरोक्त संलग्न पत्र 30.04.2020 में उल्लिखित इस शंका का समाधान करने की कृपा करें की कहीं उत्तरदाइयों को दण्डात्मक कार्यवाही से बचाने हेतु प्रकरणों को समाप्त करने के प्रयास में मुझ 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक के मरने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा है ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.2020 को प्रेषित की गई सूचना निम्नानुसार है:-

1. With reference to your letter dated 30.04.2020, it is to intimate that all the non-compliance decisions have been uploaded on the CIC site and also copies sent to you. You may kindly visit CIC site, 'cic.gov.in' – decisions, and may see the decisions by putting the name of the concerned Commissioner and your file No.
2. All the decisions have been delivered and put on the CIC site.
3. As per point No. 2 above please.

प्रथम अपील का आधार

3. आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है तथा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि - "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) एव (5) के प्रावधानों के संज्ञान में संबंधित सूचना आयुक्त से सहायता लेकर आवेदक के Non-compliance of CIC के 14 प्रकरणों में दिनांक 27.02.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने के पश्चात आर.टी.आई. के आवेदन दिनांक 19.05.2020 तक भी आदेश पारित नहीं करने के कारणों की जानकारी नहीं देकर गलती की है" ।

अपीलकर्ता ने आगे निवेदन किया है कि "अधिनियम की धारा की धारा 5 की उपधारा (4) एव (5) के प्रावधानों के संज्ञान में संबंधित सूचना आयुक्त से सहायता लेकर आवेदक के Non-compliance of CIC के 14 प्रकरणों में दिनांक 27.02.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने के पश्चात आर.टी.आई. के आवेदन दिनांक 19.05.2020 तक भी आदेश पारित नहीं करने के कारणों की बिंदु क्रमांक 2 में चाही गई जानकारी उपलब्ध कराएं" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 19.05.2020 का प्रस्तुत आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 05.06.2020 को प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.2020 को सूचना प्रेषित की गई । उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से अपने गैर अनुपालना के मामले में दिनांक 27.02.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के उपरांत भी आदेश पारित नहीं करने के कारणों की जानकारी मांगी है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । इसके वावजूद भी जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को इस तथ्य से अवगत कराया है कि गैर अनुपाना के सभी निर्णय आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कर दिये गए हैं और प्रार्थी वेबसाईट पर निर्णय का अवलोकन कर सकते हैं। निर्णय की एक कॉपी प्रार्थी को भी भेज दी गयी है । अत: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब तथ्यानुरूप और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही है । इस प्रकार प्रस्तुत मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 3 अगस्त, 2020

मीना शर्मा 03/08/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC –NG), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

05/08/20

05/8/20